□□□□ □□□□□
स□□स्थ□ □□ □□□□□ □ल□□□ □त्रा□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□ज□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 2839
20 □□□, 2018 को पूछे जाने वाले प्रश्न □□ □त्त□
जन्म के समय लिग अनुपात

2839. श्री□ □□□□ □□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण □त्री□ □□ □□□□□ो □□□ □□□□□□

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश म जन्म के □□□ □□-□□□□□ □□□□□ों □□□□□□□ □□स□□ □□खे□□ो□ ब्यौरा क्या है;

(□) □□□□□ द्व□□□ □□ □□□ □□ं □ □□□□□□□ रूप से लिग-चयनित गभपात के प्रचलन को रोकने □□□□□ □□ गए उपायों का ब्यौरा क्या है; □□

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध् म गत तीन वर्षों म किए गए उपायों के क्या परिणाम ह?

□त्त□

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(□): □□ 2012-14, 2013-15 □□ 2014-16 के दौरान देश म जन्म के समय लिग अनुपात के संदभ म □□खे□□ो □□□□□ □□ □□□□□ □□□ग्न□-I □ □□□□ □□□ □□

(□): □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□ □□□ प्र□□बंध एवं गभाधानपूव एवं प्रसवपूव डायग्नोस्टिक तकनीकों के □रु□□□□ □ो □□□□□□ के लिए सरकार ने गभाधानपूव एवं प्रसवपूव डायग्नो□स्□□ □□□□□ (□□ □□□ □□□□) □□□□□□□, 1994 □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□

□□□□ □□□□□ □,गभाधानपूव एवं प्रसवपूव डायग्ना□स्□□ □□□□□ (□□ □□□ □□□□) □□□□□□□, 1994 □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□क□, □□ □□□□ □□□□□ों, प्र□□□□□ों □□□□□ □□□□□त□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ के लिए जागरुकता सृजन एवं समथन उपाय हेतु योजनाओं एवं कायक्रम को आवश्यक बनाने को एक बहु-आयामी नीति अपनाई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए महत्व□□ □□□□ों □□ □□□□□ □□□ग□□-II □ □□□□ □□□ □□

(□): पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम लागू करने के परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों के दौरान □□ □ □क्त □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ 455 □□□□(□□ 2014-15 □□□□□□ 132, □□ 2015-16 □□□□□□ 190 □□ □□ 2016-17 के दौरान 133 मामले) दज किए गए और 220 □□□□ों □ (□□ 2014-15 □ 71, □□ 2015-16 □ 88 □□ □□ 2016-17 म 61 दोषसिद्धि) दोषसिद्धि पाई गई थी।

□□□ग्र□ I

निवास के अनुसार जन्म के समय लिग अनुपात (प्रति 1000 □रु□ □□ □□□□)			
□□□□ □□ □□□□ज□,			
□□□□ □□ □□□□ज□	2012-2014	2013-2015	2014-2016
□□□□	906	900	898
आंध्र प्रदेश*	919*	918*	913
□□□	918	900	896
□□□□	907	916	908
□र्त्त□□□	973	961	963
दिल्ली	876	869	857
□□□□	907	854	848
□ि□□□□	866	831	832
□□□□□□ प्र□□	938	924	917
जम्मू और कश्मीर	899	899	906
□□□□□	910	902	918
□□□□□	950	939	935
□□□	974	967	959
□ध□ प्र□□	927	919	922
□□□□□ष्ट्र	896	878	876
□□□□□	953	950	948
□□□□	870	889	893
□□□स□□□	893	861	857
□□□□□□□□	921	911	915
□□□□□□	□□□□□ब□	□□□□□ब□	901
□त्त□ प्र□□	869	879	882
□त्त□□□□	871	844	850
□□श्चि□ □□□□	952	951	937
* आन्ध्र प्रदेश तेलंगाना सहित			

स्रो□: □□□□ □□□□□□ प्र□□□□ (□□□□□□)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान बाल लिंग अनुपात म अंतराल को दूर □□□□□□ि□□ □□ □□□□

- □□□□□ □,ि गभाधानपूव एवं प्रसवपूव डायग्नोस्ि□□ □□□□□ (ि□□ □□□ □□□□) □□□□□□□, 1994 □□ प्रभावी कायान्वयन को तीव्रता दी है और नियमों के विभिन्न प्र□□□□□ों □ □□□□□ ि□□□ □□

- □□□□ □□□□□ □□ल्ट्र□□□□न□ □ 6 □□□ □□प्र□□क्ष□ □□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□ प्र□त्र □, □□□क्त प्र□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□ि□ □स□□□ों □□□□ □□□□□□ शुल्क म और उक्त अधिनियम के अंतगत अपीलीय प्राधिकरण को अपील करने को पद्धति म छूट सहि□ विगत तीन वर्षों को दौरान नियमावली म अनेक महत्वपूण संशोधन अधिसूचित किए ह।

- राष्ट्रीय निरीक्षण एवं निगरानी समिति (एनआईएमसी) द्वारा निरीक्षणों को बढ़ाया गया है। वष 2015-16 □□□□□□□ □□□□, □□च□□□, □त्रे□□□, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, □□□□□, □□□□□, □□□□□□, □ध्र प्र□□, ि□□□□□□, □□□स□□□, □□□□□ष्ट्र, □□□□□□,□□□□□□, □त्ती□□□□, □□□□□, □□□, □त□□□□□, □□□□□, □□□□□□□,□□ध□ प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों म 22 एनआईएमसी निरीक्षण दौरे किए □□□ □□ 2016-17 □□□□□□□ □रु□□□□ प्र□□, □म□□ □श□□□, □□□□□□ प्र□□, □□□स□□□, ि□ल□□, □□श्चि□ □□□□, □□□□□, □त□□ प्र□□, □□□□□□□□,□□□□□□, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों म 12 एनआईएमसी निरीक्षण किए गए। वष 2017-18 □□□□□□□ □□□□, □□□□□□, □त्त□□□□, □□□ , □न्ध्र प्र□□, □□□□□, □□□□□ष्ट्र, □□□□□, □□□□□, □□□, □त्ती□□□□, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, □□□□□, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, □□□स□□□, □□□□□□□,पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ राज्यों म 20 एनआईएमसी □□□□क्ष□ ि□□ □□□

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों म राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला □□□□क्ष□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ ि□□□ गया है और जमीनी स्तर पर नियमित निरीक्षण आयोजित किए जा रहे ह। दिसंबर, 2017 □□ महाराष्ट्र राज्य म अधिकतम निरीक्षण (184354) उसके पश्चात पंजाब (42993) और उत्तर प्रदेश (24565) निरीक्षण आयोजित किए गए ह।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रतिबद्ध पीएनडीटी सैल को स्थापना, क्ष□□□ □□□□□, □□□□□□□ और वकालती अभियान आदि के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) के तहत कायान्वयन ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वष 2014-15, 2015-16 □□ 2016-17 म पीएनडीटी सैल को स्थापना, क्षमता निमाण, निगरानी और आईईसी अभियान आदि के लिए क्रमशः 23.11 □□□□ रु., 34.71 □□□□ रु□□ और 23.79 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए ह□ □□□□□□□□□ □□ 2017-18 म पीएनडीटी कायकलापों के लिए 26.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए ह।

- [illegible] राज्य उपयुक्त प्राधिकरणों और राज्य नोडल अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निमाण कायक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे ह।

- [illegible] को बेहतर [illegible] स्वास्थ्य [illegible] प्र[illegible] (एसओजी) ने तैयार किए ह।

- [illegible] स्तर पर कायक्रम समीक्षा म तीव्रता लाई गई है। 2014-15, 2015-16 [illegible] 2016-17 [illegible], [illegible], [illegible], दक्षिण पूर्वा और पूर्वात्तर राज्यों म कुल 14 क्षेत्रीय [illegible] आयोजित को गई ह।

- ऑनलाइन प्रपत्र के मानकोकरण और डॉक्टरों के विरुद्ध गैर-[illegible] हुए लिपिकोय त्र्रुटियों को कम करने के लिए दिनांक 13 [illegible], 2017 को राष्ट्रीय स्तरीय परामश बैठक आयोजित को गई थी। परामश के निष्कष रूप म सभी राज्य/संघ राज्य को 'प्रपत्र च' [illegible]

- [illegible] ([illegible]) 349/2006 ([illegible] स्वास्थ्य [illegible]) [illegible] द्वारा [illegible] प्र[illegible])।

- सरकार ने रिट याचिका (सिविल) सं.341/2008 म आदेश दिनांक 16.11.2016 के माध्[illegible], 1994 [illegible] गभाधानपूव एवं प्रसवपूव लिग-[illegible] नियंत्रण रखने एवं उन्ह [illegible]

- न[illegible]-तंत्र का ऑरिएंटेशन एवं ससिडाइजेशन राष्ट्री[illegible] 4 [illegible] 5 [illegible], 2017 को भोपाल म न्या[illegible] दिवसीय ओरिएंटेशन तथा ससिडाइजेशन कायक्रम आयो[illegible] 2017-18 के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए दो ऑरिएंटेशन प्रोग्रामों म विशेष [illegible]

- [illegible] शिशु लिग अनुपात वाले जिलों/ब्लॉ[illegible] इसके साथ ही उन्ह [illegible] को योजना बनाने तथा पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कायान्व[illegible]